जारी । कु० नेहा
19/11/2018

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 57 /1–11–2018–6(जी)/2017
लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के सूखा प्रबन्धन मैनुअल–2016 में किये गये प्राविधानों के आलोक में सूखा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों पर अध्ययन और शोध कर राज्य सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य सूखा निगरानी केन्द्र (State Drought Monitoring Centre) की स्थापना करते हुए उसके कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न विवरण के अनुसार सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	नाम	पद
1.	राहत आयुक्त, उ0प्र0	अध्यक्ष
2.	परियोजना निदेशक (सा0प्र0 एवं एच0आर0डी0), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य (सचिव)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक से अन्यून)	सदस्य
4.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालय से नामित कृषि विशेषज्ञ	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6.	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	सदस्य
7.	निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, उ0प्र0	सदस्य
8.	निदेशक, रिमोट सेसिंग एजेन्सी, उ0प्र0	सदस्य
9.	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, उ0प्र0	सदस्य

राज्य स्तर पर सूखे के अनुश्रवण हेतु गठित उक्त सूखा मानीटरिंग सेन्टर (डी0एम0सी0), पिकप भवन स्थित उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के कार्यालय में स्थापित होगा जहॉ से वह अपने कार्यों का सम्पादन करेगा।

3– सूखा मैनुअल 2016 के Annexure 2 के अनुसार सूखे के अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित सूखा मानीटरिंग सेन्टर एवं उसके संचालन हेतु गठित समिति द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कियाकलापों का सम्पादन किया जायेगा:–

1. सूखा मानीटरिंग सेन्टर (डी0एम0सी0) द्वारा एक डेटाबेस का निर्माण किया जायेगा जिसके माध्यम से सूखे से सम्बन्धित विभिन्न सूचकांको यथा–वर्षा, भूमि उपयोग, कृषिजन्य दशाये, भू–गर्भ जल, सतही जल स्तर तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं यथा–प्रवास एवं आपात स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आदि डाटा का सग्रंहण एवं विश्लेषण किया जायेगा।
2. डी0एम0सी0 द्वारा सूखे के संबंध में आवधिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में वर्षण की स्थिति, कृषि संव्यवहारों, फसल दशा, चारा, जलाश्य स्तर एवं पेय जल से सम्बन्धित रिपोर्ट सम्मिलित होगी।
3. डी0एम0सी0 द्वारा ज्ञान आधारित लोक नीति के निर्माण हेतु अन्तर आनुशासनिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जायेगा।
4. डी0एम0सी0 द्वारा राज्य में टेलीमेटरिक रेनगेज एवं मौसम स्टेशन नेटवर्क का स्थापना की जायेगी, जिसकी सहायता से मौसम एवं वर्षण के डाटाबेसों के सुधार सम्भव हो सकेगा।
5. डी0एम0सी0 द्वारा नेशनल रिमोट सेसिंग सेन्टर (हैदराबाद) के समन्वय से सेटेलाइट की सहायता से सूखे का अनुश्रवण एवं स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (अहमदाबाद) फसलों के आंकलन आदि कियाकलापों का सम्पादन किया जायेगा।
6. सूखे से हुयी क्षति के आंकलन तथा जल एवं मृदा के प्रबन्धन आदि के आधार पर डी0एम0सी0 सूखे की घोषणा के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या /1–11–2018–6(जी)/2017 दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि, सिंचाई, पशुपालन, नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उद्यान, पंचायतीराज, भू–गर्भ जल, लघु सिंचाई एवं चिकित्सा, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त (अध्यक्ष), उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, अग्निशमन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, रिमोट सेसिंग (सदस्य), उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग (सदस्य), उ0प्र0
10. निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग (सदस्य), उ0प्र0
11. मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय जल आयोग (सदस्य), उ0प्र0

12. परियोजना निदेशक (सा0प्र0 एवं एच0आर0डी0) (सदस्य सचिव), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ।
13. परियोजना निदेशक (सूखा), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ।
14. परियोजना प्रबन्धक, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 सचिवालय।
15. राजस्व अनुभाग–10 / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।